रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247066
CG-DL-E-05072023-247066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945
No. 388] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 481(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र (तृतीय संशोधन) नियम, 2023 है।

 (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में, नियम 29क के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

 '29 ख. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में किसी इकाई द्वारा जहाज के घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से आयात या निर्यात या खरीद या को आपूर्ति की प्रक्रिया- (1) नियम 29 में किसी बात के होते हुए भी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में स्थापित इकाई, (इस नियम में "इकाई" के रूप में विनिर्दिष्ट) जहाज का आयात करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित इकाई बीजक और पैकिंग सूची के साथ "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाए केंद्र कार्गो" के रूप में विशेष रूप से स्टाम्प लगे पृष्ठांकन सहित विवरण देते हुए ऑन लाइन प्रणाली के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी को फाइल करेगी; जो उसे रजिस्ट्री करेगा और एक प्रचलित वार्षिक क्रम संख्या आबंटित करेगा और लेने-देन मूल्य के आधार पर प्रविष्टि बिल का आकलन करेगा जिसे विशिष्ट अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी;

(ख) प्रवृष्टि बिल दर्ज करते समय, इकाई संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह के रूप में निर्वहन के बंदरगाह को इंगित करेगी, जहां जहाज को इकाई द्वारा पहली बार प्राप्त होने की आशा की जाती है:

पंरतु जहां प्रविष्टि बिल का मूल्यांकन फाइलिंग की तारीख को ही नहीं किया जाता है, तो वहां माल को रजिस्ट्री प्रवेश बिल के आधार पर यूनिट द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, यदि इस आशय का अनुमोदन अधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है;

पंरतु यह और कि इकाई द्वारा निर्दिष्ट स्थान सीमा शुल्क क्षेत्र या सीमा शुल्क बंदरगाह या सीमा शुल्क शिपयार्ड होगा, जहां जहाज को इकाई द्वारा पहली बार प्राप्त किए जाने की आशा की जाती है:

यह और भी कि जहां जहाज की आपूर्ति मुफ्त में या ऋण या पट्टे के आधार पर की जाती है, वहॉं प्रवेश का बिल यूनिट और आपूर्तिकर्ता के नाम पर संयुक्त रूप से दायर किया जाएगा;

(ग) आकलित प्रवेश बिल प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इन नियमों के अधीन प्रवेश बिल दाखिल किए जाने के 24 घंटे के भीतर ई-मेल या प्राधिकृत किसी अन्य माध्यम से आयात के स्थान पर सीमा शुल्क अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा और इसे इकाई द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर माल के अंतरण की अनुमति के रूप में माना जाएगा;

(घ) आकलित प्रवेश बिल प्राप्त होने पर, आयात के स्थान पर सीमा शुल्क अधिकारी जहाज के चिह्नों और संख्याओं का निरीक्षण करेगा और यदि आवश्यक हो तो जांच करेगा और आकलित प्रवेश बिल प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर इन नियमों के अधीन प्राधिकृत ई-मेल या किसी अन्य माध्यम से अग्रेषित जांच या निरीक्षण रिपोर्ट को, जहाज को लंगर किए जाने, संग्रहीत किए जाने या पार्क किए जाने के स्थान सहित भेजेगा।

(ङ) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आयात के स्थान पर सीमा शुल्क अधिकारी से जांच और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र में ऐसे माल का आगमन और माल के प्रभार से बाहर होने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया का पूरा होना समझा जाएगा;

(च) इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि आयातित जहाज ऐसे माल के सीमा शुल्क निर्वहन तक संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 45 के अधीन अनुमोदित ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में है।

(2) इकाई द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से जहाज की खरीद के मामले में, इकाई नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में एक इकाई के रूप में स्थापित पट्टादाता खरीद पर या पट्टे के आधार पर जहाज खरीद सकते हैं;

(ख) खरीद के लिए, टैक्स चालान और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित अन्य दस्तावेज सहित सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे :

पंरतु जहां घरेलू आपूर्तिकर्ता द्वारा ऋण या पट्टे के आधार पर जहाज की आपूर्ति की जाती है, वहां ऐसी खरीद के लिए सभी दस्तावेज इकाई और घरेलू आपूर्तिकर्ता के नाम पर संयुक्त रूप से दाखिल किए जाएंगे;

(ग) खंड (ख) में उल्लिखित दस्तावेज़ सीमा शुल्क बंदरगाह को इंगित करेंगे जहां इकाई द्वारा पहली बार जहाज प्राप्त किए जाने की आशा है ;

(घ) जहाज के चिन्हों और संख्याओं की जांच और निरीक्षण के लिए, प्राधिकृत अधिकारी इकाई द्वारा संबंधित दस्तावेजों को दाखिल करने के चौबीस घंटे के भीतर संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह के सीमा शुल्क अधिकारी से ई-मेल या किसी अन्य अधिकृत मोड से पत्राचार करेगा ;

(ड.) संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह पर संबंधित सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे जहाज के चिन्हों और संख्याओं की जांच या निरीक्षण करेंगें और प्राधिकृत अधिकारी से पत्राचार प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर ईमेल या किसी अन्य अधिकृत मोड के माध्यम से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को जहाज के लंगर डालने , संग्रहीत या पार्क किये जाने के स्थान सहित जांच या निरीक्षण रिपोर्ट भेजेंगे।

(च) सीमा शुल्क बंदरगाह पर संबंधित सीमा शुल्क अधिकारी से या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच या निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति को इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में इस प्रकार के वस्तुओं के आगमन और वस्तु के शुल्क मुक्त के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूरा होना माना जाएगा।

(छ) पट्टादाता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि खरीदा गया जहाज ऐसे जहाज के सीमा शुल्क निर्वहन तक संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 45 के अधीन अनुमोदित व्यक्ति के अभिरक्षण में है।

(3) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इकाई द्वारा पट्टे पर या एकमुश्त आधार पर जहाज की आपूर्ति के मामले में, इकाई द्वारा नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित एक इकाई के रूप में स्थापित पट्टेदार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में पट्टे पर या एकमुश्त आधार पर जहाज की आपूर्ति कर सकते हैं;

(ख) घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री के लिए सभी प्रविष्टि बिल और अन्य ऐसे दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित इकाई द्वारा ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ग) खंड (ख) में उल्लिखित दस्तावेज़ उस सीमा शुल्क बंदरगाह को इंगित करेंगे जहां पहले से ही इकाई द्वारा जहाज लंगर डाला गया, संग्रहीत या पार्क किया गया है;

(घ) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र की बिक्री के लिए प्रवेश बिल के मूल्यांकन के बाद, भारत में आयातक यथा-लागू शुल्क का भुगतान करेगा;

(ड.) जहाज के चिन्हों और संख्याओं की जांच और निरीक्षण के लिए, प्राधिकृत अधिकारी इकाई द्वारा संबंधित दस्तावेजों को दाखिल करने और शुल्क के भुगतान के चौबीस घंटे के भीतर संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह के उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, ई-मेल या इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य माध्यम से सूचित करेगा।

(च) संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे जहाज के चिह्नों और संख्याओं की जांच या निरीक्षण करेंगे और जांच या निरीक्षण रिपोर्ट, जिसमें वह स्थान भी सम्मिलित है जहां जहाज का लंगर डाला गया है, संग्रहीत या पार्क किया गया है, ई-मेल या इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य माध्यम से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(छ) सीमा शुल्क बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारी से जांच या निरीक्षण रिपोर्ट और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री के लिए प्रवेश बिल के आकलन के विवरणों का सत्यापन, प्राप्त होने को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल के प्रभार रहित होने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूरा करने के रूप में माना जाएगा।

(ज) घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए बिक्री प्रवेश बिल का प्रभार पूरा होने के पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों को सूचित करेगा; ताकि जहाज को भारत में भौतिक रूप से हटाने की अनुमति दी जा सके

(झ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में जहाज को हटाने के पश्चात, सीमा शुल्क बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारी ईमेल या इन नियमों के अधीन अधिकृत किसी अन्य मोड के माध्यम से संबंधित अधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना देगा।

(4) इकाई द्वारा पट्टे पर या एकमुश्त आधार पर जहाज के निर्यात के मामले में, इकाई नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्: -

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में एक इकाई के रूप में स्थापित पट्टादाता जहाज को पट्टे पर या एकमुश्त आधार पर निर्यात कर सकता है;

(ख) शिपिंग बिल और, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित अन्य ऐसे दस्तावेज़, जैसा भी मामला हो, यूनिट द्वारा ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(ग) खंड (ख) में बताए गए दस्तावेज़ शिपमेंट के बंदरगाह को संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह के रूप में इंगित करेंगे जहां जहाज पहले से ही इकाई द्वारा लंगर लगाया गया, भंडारित या पार्क किया गया है;

(घ) जहाज के चिन्हों और संख्याओं की जांच और निरीक्षण के लिए, प्राधिकृत अधिकारी इकाई द्वारा संबंधित दस्तावेजों को दाखिल करने के चौबीस घंटे के भीतर, जैसा भी मामला हो; संबंधित सीमा शुल्क पोर्ट के उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी को ई-मेल या इन नियमों के अधीन अधिकृत किसी अन्य माध्यम से सूचित करेगा।

(ड.) संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे जहाज के चिन्हों और संख्याओं की जांच या निरीक्षण करेंगे और जांच या निरीक्षण रिपोर्ट, जिसमें वह स्थान भी सम्मिलित है जहां जहाज का लंगर डाला गया है, भंडारित या पार्क किया गया है, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को ई-मेल या इन नियमों के अधीन अधिकृत किसी अन्य माध्यम से भेजेंगे;

(च) सीमा शुल्क बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारी से जांच या निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकृत अधिकारी माल का एक्सपोर्ट ऑडर देने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूरा करेगा जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई; द्वारा जहाज के निर्यात की प्रक्रिया को पूरा करने के रूप में माना जाएगा।

(छ) लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिए जाने के पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी संबंधित सीमा शुल्क बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों को भारत के बाहर जहाज को भौतिक रूप से हटाने की अनुमति देने के लिए सूचित करेगा;

(ज) जहाज के निर्यात के पश्चात, सीमा शुल्क बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारी ईमेल या इन नियमों के अधीन अधिकृत किसी अन्य माध्यम से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना देगा।

स्पष्टीकरण - *इस नियम के प्रयोजन के लिए "जहाज" से जहाज या समुद्री जहाज अभिप्रेत है और इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार की नावें, नौका और इसी तरह के जहाज, टग, पुशर नावें, ड्रेजर, फायर फ्लोट, फ्लोटिंग क्रेन, युद्धपोत या अन्य जहाज, आदि' सम्मिलित हैं।*

[फा. सं. के-43013(13)/2/2022-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 334(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित किए गए।

IndiaCode

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2023

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Third Amendment) Rules, 2023.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, after rule 29A, the following rule shall be inserted, namely: -

 '29B. Procedure of import or export or procurement from or supply to Domestic Tariff Area of ship by a Unit in International Financial Services Centre. - (1) Notwithstanding anything in rule 29, the Unit setup in the International Financial Services Centre approved by the International Financial Services Centre Authority (in this rule referred to as "the Unit"), importing ship shall follow the procedure as given below, namely: -

 (a) the Unit in the International Financial Services Centre shall file Bill of Entry for home consumption in quintuplicate giving therein, description with specially stamped endorsement as "International Financial Services Centre Cargo" along with invoice and packing list through online system with the Authorised Officer who shall register and assign a running annual serial number and assess the Bill of Entry, on the basis of transaction value, which shall not require any counter signature of the Specified Officer;

 (b) while filing the bill of Entry, the entity shall indicate the port of discharge as the respective customs port, where ship is expected to be received first time by the Unit:

 Provided that where the Bill of Entry is not assessed on the date of filing itself, the goods shall be allowed to be transferred to place designated by the Unit on the basis of the registered Bill of Entry if an endorsement to this effect has been made by the Authorised Officer:

 Provided further that, the place designated by the Unit shall be the customs area or customs port or customs shipyard, where ship is expected to be received for the first time by the Unit:

Provided also that where the ship is supplied free of cost or on loan or lease basis, the Bill of Entry shall be filed jointly in the name of the Unit and the supplier;

(c) assessed Bill of Entry shall be forwarded by the Authorised Officers to the customs officer at the place of import through an e-mail or any other mode authorised within 24 hours of filing of Bill of Entry under these rules and the same shall be treated as permission for transfer of goods to the place designated by the Unit;

(d) on receipt of assessed Bill of Entry, the customs officer at the place of import shall inspect marks and numbers of the ship and conduct examination, if necessary, and forward examination or inspection report, including the location where the ship is anchored, stored or parked, to the Authorised Officer through an e-mail or any other mode authorised under these rules within 24 hours of receipt of assessed Bill of Entry.;

(e) the receipt of the examination and inspection report from customs officer at the place of import by the Authorised Officer shall be deemed to be the arrival of such goods in the International Financial Services Centre by the Unit and completion of the customs procedure for out of charge of the goods;

(f) the Unit shall be responsible for ensuring that ship imported is under the custody of such person approved under section 45 of the Customs Act,1962 (52 of 1962), for the respective customs port till the customs discharge of such goods.

(2) In case ofprocurement of ship from a Domestic Tariff Area by the Unit, the unitshall follow the procedure as given below, namely: -

(a) lessors setup as an Unit in the International Financial Services Centremay procure ship on purchase or on a lease basis;

(b) for procurement, all documents including Tax Invoice and any other documents prescribed under the Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or the rules made thereunder, shall be submitted through online system:

Provided that where the ship is supplied on loan or lease basis by a domestic supplier, alldocuments for such procurement shall be filed jointly in the name of the Unit and domestic supplier;

(c) the documents stated in clause (b) shall indicate customs port where ship is expected to be received for the first time by the Unit;

(d) for examination and inspection of marks and numbers of the ship, the Authorised Officer shall communicate to the customs officer of concerned customs port within twenty-four hours of filing of respective documents by the Unit, through an e-mail or any other authorised mode;

(e) concerned customs officials at the respective customs port shall carry out examination or inspection of marks and numbers of such ship and forward examination or inspection report, including the location where the ship is anchored, stored or parked, to the Authorised Officer concerned through an e-mail or any other authorised mode within-twenty four hours of the receipt of the communication from the Authorised Officer;

(f) the receipt of the examination or inspection report from thecustoms officer concerned at the customs port or by the Authorised Officer shall be deemed to be arrival of such goods in the International Financial Services Centre by the Unit and completion of the customs procedure for out of charge of the goods;

(g) the lessor shall be responsible for ensuring that ship procured is under the custody of such person approved under section 45 of the Customs Act,1962 (52 of 1962), for the respective customs port till the customs discharge of such ship.

(3) In case of supply of ship on lease or outright basis by the Unit into the Domestic Tariff Area. The Unitshall follow the procedure given below, namely: -

(a) lessors setup as an Unit located in Special Economic Zone may supply the ship on lease or outright basis into Domestic Tariff Area;

(b) all Bill of Entry for the Domestic Tariff Area sale and other such documents, as the case may be, prescribed under the Act or the rules made thereunder shall be submitted through online system by the Unit set up in the International Financial Services Centre;

(c) the documents stated in clause (b) shall indicate the customs port where ship is already anchored, stored or parked by the Unit;

(d) after assessment of Bill of Entry for Domestic Tariff Area sale by the Authorised Officer, the importer in India shall make payment of duty as applicable;

(e) for examination and inspection of marks and numbers of the ship, theAuthorised Officer shall communicate to the appropriate customs officer of the customs port concerned, as the case may be, within twenty-four

hours of filing of respective documents and payment of duty by the Unit, through an e-mail or any other mode authorised under these rules;

(f) customs officials at the respective customs port shall carry out examination or inspection of marks and numbers of such ship and forward the examination or inspection report, including the location where the ship is anchored, stored or parked, to the Authorised Officer concerned through an e-mail or any other mode authorised under these rules;

(g) the receipt of the examination or inspection report from customs officer at the customs port and verification of the details from the assessed Bill of Entryfor Domestic Tariff Area sale by the Authorised Officer shall be deemed to be completion of the customs procedure for out of charge of the goods into the Domestic Tariff Area;

(h) after out of charge of Bill of Entry for Domestic Tariff Area sale has been completed, the Authorised Officer shall intimate the customs officials at the respective customs port to allow the physical removal of ship into India;

(i) after the removal of ship into the Domestic Tariff Area, the customs officer at the customs port shall intimate the same to the Authorised Officer concerned through email or any other mode authorised under these rules.

(4) In case of export of ship on lease or outright basis by the unit, the unit shall follow the procedure as given below, namely:-

(a) lessors setup as anUnit in the International Financial Services Centre located in Special Economic Zone may export the ship on lease or outright basis;

(b) the Shipping Bills and other such documents, as the case may be, prescribed under the Act or the rules made thereunder, shall be submitted by the Unit through online system;

(c) the documents stated in clause (b) shall indicate port of shipment as the respective customs port where the ship is already anchored, stored or parked by the Unit;

(d) for examination and inspection of marks and numbers of the ship, theAuthorised Officer shall communicate to the appropriate customs officer of customs port concerned, as the case may be, within twenty-four hours of filing of respective documents by the Unit, through an e-mail or any other mode authorised under these rules;

(e) customs officials at the respective customs port shall carry out examination or inspection of marks and numbers of such ship and forward examination or inspection report, including the location where the ship is anchored, stored or parked, to the Authorised Officer concerned through an e-mail or any other mode authorised under these rules;

(f) on the receipt of the examination or inspection report from customs officer at the customs port, the Authorised Officer shall complete the customs procedure for Let Export Order of the goods which shall be deemed to be the completion of procedure for export of ship by the International Financial Services Centre Unit;

(g) after grant of Let Export Order, the Authorised Officer shall intimate the customs officials at the respective customs port to allow the removal of ship outside India physically;

(h) after the ship is exported, customs officer at the customs port shall intimate the same to the Authorised Officer concerned through email or any other mode authorised under these rules.

Explanation .- For the purpose of this rule "ship" means ship or ocean vessel and includes various types of boats, barges and similar vessels for transport of persons or goods, tugs, pusher boats, dredgers, fire floats, floating cranes, warships or other vessels, etc.'.

[F. No. K-43013(13)/2/2022-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 334(E), dated the 27th April, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA